JALAUN POLICE

दिनांक – 13.02.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 33/2025 धारा 109(1)/352/324(6) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 अदद तमन्चा व 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

दिनांक 12.02.2025 को वादी श्री सन्तोष सिंह पुत्र राममूरत सिंह निवासी ग्राम सिकरी रहमानपुर थाना चुर्खी जनपद जालौन द्वारा कोतवाली कालपी में तहरीरी सूचना दी की प्रशान्त सेंगर उर्फ लल्ला सेंगर पुत्र रघुवीर निवासी मुहल्ला रामगंज कस्वा व थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा वादी को गन्दी गन्दी गाली गलौज कर वादी तथा मानवेन्द्र सिंह को जान से मारने की नियत से देशी कट्टा से फायर करना जो वादी की ईको गाडी की खिडकी के पास लगना जिससे गाडी क्षतिग्रस्त हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कालपी में मु0अ0सं0 33/2025 धारा 109(1)/352/324(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा अभियोग में वान्छित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्र0नि0 कोतवाली कालपी को निर्देशित किया गया था ।

दिनांक 13.02.2025 को थाना कालपी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी एवं चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर अभियुक्त प्रशान्त सेंगर उर्फ लल्ला सेंगर पुत्र रघुवीर निवासी मुहल्ला रामगंज कस्वा व थाना कालपी जनपद जालौन को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ सर्वोदय स्कूल के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. प्रशान्त सेंगर उर्फ लल्ला सेंगर पुत्र रघुवीर निवासी मुहल्ला रामगंज कस्वा व थाना कालपी जनपद जालौन उम्र करीब 41 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालपी मय पुलिस टीम